कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद।

"नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजकीय वाहन एम्बेजडर कार संख्या UP14AG-0619 मैक मॉडल एम्बेजडर कार, पंजीयन वर्ष 2014, इंजन संख्या 3ELDP115153, चेसिस संख्या MA7AM18MCPU023122 जो पैट्रोल चलित तथा न्यायालय परिसर, राजनगर, गाजियाबाद मे खडी है, की नीलामी दिनांक 06.01.2024 दिन शनिवार को सायं 04.00 बजे न्यायालय परिसर के सैन्ट्रल हॉल भूतल में की जायेगी। नीलामी की कार्यवाही निम्न शर्तो के अधीन होगी :–

1. जो व्यक्ति/फर्म बोली बोलना चाहेगा उसे अंकन 5,000/– रूपये का नकद प्रतिभूत के रूप में जमा करना होगा।
2. न्यूनतम बोली अंकन 25,000/– रूपये निश्चित की है, नीलाम के इच्छुक व्यक्ति को उससे अधिक बोली बोलनी होगी।
3. बोलीदाता अपनी बोली को मौखिक रूप से बोल सकता है तथा अपनी अधिकतम बोली को लिखित रूप से बन्द लिफाफे में भी बोली प्रारम्भ होने से पूर्व कार्यालय में दे सकता है। बन्द लिफाफे को अधिकतम बोली लगाने के पश्चात सबकी उपस्थिति में खोला जायेगा।
4. सबसे अधिक बोली बोलने वाले अथवा बन्द लिफाफे में प्राप्त अधिकतम बोली देने वाले व्यक्ति/फर्म को बोली समाप्त होते ही स्वीकृत बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत के बराबर धनराशि बोली स्थल पर ही नगद जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि बोली का अनुमोदन होने के उपरान्त जमा करना होगा।
5. सबसे अधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति/फर्म को अधिकतम बोली पर 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 पृथक से देय होगा, जिसे वह अपने जी0एस0टी0 पंजियन पर जमा कर प्रमाण–पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
6. यदि उच्चतम बोलीदाता अपनी अधिकतम बोली का 25 प्रतिशत धनराशि बोली के तुरन्त बाद जमा नही करता है तो उसके द्वारा प्रतिभूति के रूप मे जमा की गयी धनराशि उ0प्र0 शासन के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी तथा उससे कम बोली बोलने वाले को अपनी अधिकतम बोली का 25 प्रतिशत के बराबर धनराशि को जमा करना होगा।
7. समस्त धनराशि जमा होने एंव नीलामी सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत होने पर ही वाहन की डिलीवरी दी जायेगी।
8. वाहन का निरीक्षण नवीन न्यायालय परिसर मे किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है वाहन जैसा है, जहॉ है, वैसा ही, नीलाम किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति/फर्म कोई अन्य जानकारी जानना चाहता है तो वह किसी भी कार्य दिवस मे श्रीमान प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग अथवा केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय गाजियाबाद से व्यक्तिगत अथवा दूरभाष पर सम्पर्क स्थापित करके जानकारी प्राप्त कर सकता है। केन्द्रीय नाजिर का दूरभाष/मोबाईल संख्या 9625086175 है।
9. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेश दिनांकित 30.09.2022 के अनुसार उक्त वाहन को निष्प्रयोज्य घोषित किया गया है तथा निर्देशित किया गया है कि निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने के उपरान्त उसका संचालन कदापि नही किया जायेगा। अतः वाहन की नीलामी स्कैप के रूप में की जायेगी तथा केता को इस सम्बन्ध में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
10. नीलाम केता को नीलामी संबंधी समस्त औपचारिकतायें स्वयं पूर्ण करनी होगी।
11. नीलामी स्वीकृत एवं बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद का होगा।

8/12/2023

(मनोज कुमार मिश्र) सदस्य नीलाम समिति/ कोर्ट मैनेजर, सिविल कोर्ट, गाजियाबाद	(राहुल श्रीवास्तव) सदस्य नीलाम समिति/ सहायक परिवहन अधिकारी, गाजियाबाद	(रोहित अग्रवाल) सदस्य नीलाम समिति/ अपर जिला जज न्यायालय सं0–09, गाजियाबाद।	(नीरज गौतम) सदस्य नीलाम समिति/ अपर जिला जज, न्यायालय सं0–10, गाजियाबाद।	(हीरा लाल) अध्यक्ष, नीलाम समिति/ अपर जिला जज, न्यायालय संख्या–02, गाजियाबाद।